पत्रांक - 1219

उप श्रमायुक्त का कार्यालय, श्रम भवन, डोरण्डा, राँची।

उप श्रमायुक्त,
राँची।

सचिव,

रहिमन माईनोरेटी एजुकेशन सोसाइटी
शाहपुर, पलामू।

राँची, दिनांक- 29.6.16

विषय - झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निबंधित महिला लाभुकों को सिलाई–कटाई का प्रशिक्षण देने हेतु स्वीकृत्यादेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि जिला – गढ़वा में झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजनान्तर्गत निबंधित महिला लाभुकों को योजनान्तर्गत सिलाई मशीन का लाभ दिये जाने हेतु सिंलाई–कटाई का प्रशिक्षण देने हेतु आदेश दिया जाता है जो निम्न प्रकार है –

क्रम	जिला का नाम	महिला लाभुकों की सूची का क्रमांक	
	गढ़वा - खरौंधी - प्रखंड	1 से 05 -	05
	" चिनिया - "	6 से 18 -	12
	" मझिआंव - "	19 से 40 -	22
	" रमकण्डा - "	159 से 161 -	03
	(प्रखंड - 11 केन्द्र)	(संलग्न) कुल -	42

संबंधित महिला लाभुकों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए कुल उन्हें 25-30 की संख्या में प्रति बैच के अनुसार प्रशिक्षण दिए जाने हेतु आपके संस्था को स्वीकृति दी जाती है। निर्देश है कि श्रम अधीक्षक, गढ़वा .... से सम्पर्क स्थापित कर नियमानुसार प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रारम्भ करें एवं तत्पश्चात् श्रम अधीक्षक, गढ़वा .... के माध्यम अपना विपत्र प्रेषित किया जाय ताकि उसका भुगतान किया जा सके।

अनु0 - यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

उप श्रमायुक्त, राँची।

पत्रांक.....1174

<u>सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, संयुक्त श्रम भवन ,रेड़मा ,पलामू ,मेदिनीनगर</u>

प्रेषक

श्रम अधीक्षक

पलामू मेदिनीनगर ।

सेवा में ,

उप श्रमायुक्त,

रांची ।

मेदिनीनगर / दिनांक ....16.12.15.

विषय :- एशियन माईनोरिटी एक्शन अमन शाहपुर चैनपुर पलामू द्वारा समर्पित सिलाई मशीन प्रशिक्षण विपत्र के प्रेषण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कोषाध्यक्ष, एशियन माईनोरिटी एक्शन अमन शाहपुर चैनपुर पलामू द्वारा झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीन मनातू प्रखण्ड से निबंधित महिला लाभुको को सिलाई मशीन प्रशिक्ष नोप्रांत समर्पित (लाभुक 22 × रु0 1000 =22,000 रु0) बाईस हजार रूपये के विपत्र इस पत्र के साथ संग्लन कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अनुरोध है कि उक्त विपत्र यथाशीघ्र पारित कर कोषाध्यक्ष, एशियन माईनोरिटी एक्शन अमन शाहपुर चैनपुर, पलामू को भुगतान करने की कार्रवाई की जा सकती है ।

<u>अनुलग्नक:-</u>

1. विपत्र -प्रति में ।
2. प्रमाण पत्र की छायाप्रति -प्रति में ।
3. उपस्थिति पंजी की छायाप्रति- प्रति में ।
4. **श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का प्रतिवेदन - प्रति में ।**
5. लाभुक आवेदन पत्र - प्रति में ।

विश्वासभाजन

16.12.15

श्रम अधीक्षक

पलामू,मेदिनीनर ।

ASIAN MINORITY ACTION NETWORK (AMAN)

SHAHPUR CHAINPUR PALAMAU

Ref. 6/15 date. 2/11/15

16.12.15

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, रांची ।

द्वारा :- श्रम अधिक्षक , पलामू ।

विषय :- झारखण्ड भवन एंव अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत महिला श्रमिको के सिलाई-कटाई प्रशिक्षणपरांत राशि भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन है की एशियन मईनोरिटी एक्शन नेटवर्क (अमन) के द्वारा झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कल्याण बोर्ड के अंतर्गत महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र मध्य विद्यालय सिलदिलिया में सिलाई एवं कटाई का प्रशिक्षण 28-07-2015 से 21-08-2015 तक कुल 25 दिनों में 100 घंटो का महिला प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षणपरांत नियमानुसार 22X1000 = 22000 (बाईस हजार) रूपये का भुगतान करने की कृपा की जाय ।

अतः श्रीमान से निवेदन है की प्रशिक्षण की राशि को भुगतान करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :-

1. विपत्र -प्रति में ।
2. प्रमाण पत्र की छायाप्रति -प्रति में ।
3. उपस्थिति पंजी की छायाप्रति -प्रति में
4. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का प्रतिवेदन -प्रति में ।
5. लाभुक आवेदन पत्र प्रति में ।

विश्वासभाजन

अलीमुल्ला अंसारी

AMAN Trust
Naimohalla, Shahpur, Chainpur
Distt.-Palamu, Jharkhand-822...

पत्रांक सि.वि. मनातू 29

सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, संयुक्त श्रम भवन रेड़मा, पलामू, मेदिनीनगर

प्रेषक,

श्रम अधीक्षक,
पलामू, मेदिनीनगर।

सेवा में,

सचिव,
एशियन माईनोरिटी एक्शन नेटवर्क (अमन)
मेदिनीनगर, पलामू।

मनातू (मेदिनीनगर) दिनांक 27.7.15

विषय :– झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, रांची के अधीन पलामू जिले में मनातू प्रखंड अन्तर्गत महिला लाभुकों को सिलाई मशीन प्रशिक्षण देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित करना है कि पलामू जिले में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अधीन निबंधित लाभुकों को सिलाई मशीन का लाभ दिये जाने हेतु आपसे प्राप्त आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आपकी संस्था को निम्न प्रशिक्षण केंद्र में 25 महिला लाभुकों के समूह को प्रतिदिन 4 घंटे के क्रम में 25 दिन में कुल 100 घंटे प्रशिक्षण देने का आदेश दिया जाता है। तथा प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण संबंधी अन्य सभी निर्देशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षणपरांत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में विपत्र समर्पित करेंगे जिसे उप श्रमायुक्त रांची को ससमय अग्रसारित किया जा सके।

क्रमांक	प्रशिक्षण केंद्र	प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षण की तिथि
1.	मध्य विद्यालय सिलदिलिया	22	28.7.15 से 21.8.15
2.			
3.			
कुल योग			

विश्वासभाजन

27.7.15

श्रम अधीक्षक, पलामू।

ज्ञापांक शि०वि०/मनातू 29/ मेदिनीनगर दिनांक 27.7.15

प्रतिलिपि– श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मनातू, पलामू को सूचनार्थ एवं अपनी देख–रेख में प्रशिक्षण संपन्न कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिचित करें।

27.7.15

श्रम अधिक्षक,

रांची।

ज्ञापांक शि०वि०/मनातू 29/ मेदिनीनगर दिनांक 27.7.15

प्रतिलिपि– उपश्रमायुक्त रांची को सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित। अनुरोधपूर्वक कहना है कि आपके मौखिक आदेशनुसार कार्य में उत्कृष्ता लाने हेतु कुछ नये NGOS को प्रशिक्षण दिलाने का अवसर प्रदान करते हुए उक्त संस्था को कार्यदेश निर्गत किया गया है, जिसे स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जा सकती है।

27.7.15

श्रम अधीक्षक

पलामू।